

2019/0262

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा - पत्र

उनवान

.....
 पत्रावली बनाना पन्नालाल
 किस्म मुकदमा 225 मि. नं. 158/2019 सन्
 अभिभाषक अपीलान्त मोम भा (द्विज) अभिभाषक रैस्पॉन्डेंट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

8.6.22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक पन्नालाल
 उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड
 तलब कर / रैस्पों की तलबी करायी जाकर
 यह पत्रावली दिनांक 3.8.22 को पेश हो।

3.8.22

तामील मोम

3.8.22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उज्ज्वला
 उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड
 तलब कर / रैस्पों की तलबी करायी जाकर उज्ज्वला
 यह पत्रावली दिनांक 2.10.22 को पेश हो।

डॉ० अनुपमा टेलर
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा


उज्ज्वला
 तामील

12/10/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्त एवं
 अपीलान्तगण को रकम-रकम कर तीन बार
 आवजें लगायी गयी, फिर भी अनुपस्थित
 रहे। रैस्पोंडेण्ट भी तामील जरिये रजिस्टर्ड
 शं०डी. कॉफिगंउ तक नहीं करायी गयी है। अतः
 पत्रावली रुक म हाजरी एवं अरुण चैरवी में
 रवारिज ही जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर
 बाद तामील तरुमील दाखिल दफ्तर हो।

डॉ० अनुपमा टेलर
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा





इज

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा

कैम्प बारां

चन्द्रप्रकाश पुत्र पन्नालाल आयु 50 वर्ष जाति कुम्हार निवासी अहमदी तह0

किशनगंज जिला बारा राज0

— अपीलांट

बनाम

- 1- पन्नालाल पुत्र रतनलाल जाति कुम्हार
- 2- राजू पुत्र श्री पन्नालाल जाति कुम्हार
- 3- रामभरोसी पुत्री श्री पन्नालाल जाति कुम्हार
- 4- अर्मला पुत्र श्री पन्नालाल जाति कुम्हार
- 5- श्रीमति संतराज पुत्र श्री पन्नालाल जाति कुम्हार
- 6- बसंतीबाई पत्नी राजकुमार जाति कुम्हार निवासी नाहरगढ तह0
किशनगंज जिला बारा राज0
- 7- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार महोदय, किशनगंज जिला बारां राज0

निवासीगण
अहमदी तह0
किशनगंज
जिला बारां
(राज0)

—रेस्प0,

अपील बनाराजी निर्णय उपखण्ड अधिकारी महोदय

किशनगंज प्रकरण सं0 36/14 निर्णय दिनांक 16.10.2019

बउनवान चंद्रप्रकाश बनाम पन्नालाल

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट

महोदय,

अपीलांट निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत करता है:-

- 1- यहकि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.10.2019 न्याय, कानून एवं तथ्यो के तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है।


24/10/19



श्री 152
किशनगंज जिला बारा राज0
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)
4-12-19